संख्या- 36/2021 /1109/53-2-2021-06(बजट)/2018

प्रेषक,

बिन्द गोपाल द्विवेदी,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

दुग्ध आयुक्त,
दुग्धशाला विकास विभाग,
उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ

दुग्ध विकास अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक- 23 दिसम्बर, 2021

विषय- वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए उत्तर प्रदेश दुग्ध नीति-2018 हेतु वित्तीय स्वीकृति।(अनुदान संख्या-16)।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक-385/दुग्ध-4/नियो0/ दुग्ध नीति-2018/ 2021-22, दिनांक-17.12.2021 का कृपया सदंर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-16 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत रूपये 500.00 लाख की धनराशि का प्राविधान किया गया है, जिसके सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 83.33 लाख (रू0 तिरासी लाख तैंतीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी बैंक/डाकघर में जमा नहीं किया जायेगा।
(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि जिस प्रयोजन/जिन कार्यों हेतु अवमुक्त की जा रही है, उसी मद/ प्रयोजन में ही इसका व्यय अनुमन्य होगा।
(3) उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि में से अनुरक्षण मद में कोई धनराशि व्यय नहीं की जायेगी।
(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उ0प्र0 दुग्ध नीति - 2018 के क्रियान्वयन हेतु शासनादेश संख्या - 1073/ 53-1-1-18-1(विविध)/2018, दिनांक 19 नवम्बर, 2018 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश के अधीन किया जायेगा तथा वित्त (आय-आय) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-16/2018/बी-2-979/दस-2018-244/2018, दिनांक 01 सितम्बर, 2018 में निहित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(5) उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में कर लिया जायेगा।
(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का निर्धारित मदों में उपयोग सुनिश्चित कराते हुए उसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र संकलित कर शासन को अवशेष धनराशि के सापेक्ष द्वितीय किश्त की आवश्यकता से पूर्व उपलब्ध कराया जायेगा। यदि अगली वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव उपलब्ध नहीं कराया जाता है तब भी उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्तीय वर्ष के अन्त तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा।

.....2/-

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उपर्युक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-16 के कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग(दुग्धशाला विकास) अधीन लेखा शीर्षक-**'2404-डेरी विकास-102-डेयरी विकास परियोजनाएं-09-उ0प्र0 दुग्ध नीति-2018-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)''** के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(बिन्द गोपाल द्विवेदी)
उप सचिव।

संख्या-36/2021 /1109/ (1)/53-2-2021, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा प्रथम/आडिट प्रथम) उ0प्र0, प्रयागराज।
3- वरिष्ठ आडिट आफिसर (आडिट प्लानिंग), कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम), सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड, प्रयागराज।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त नियन्त्रक, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
6- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-3
7- वेब मास्टर, दुग्धशाला विकास विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि इसे विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बिन्द गोपाल द्विवेदी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।